

संख्या 2956

पत्रावली सं०-19656D

दिनांक 10/12/2013



## सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण-पत्र

नवीनीकरण संख्या 322/2013 - 2014

फाइल संख्या 19656D

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास समिति पता-परियोजना प्रबंधन ईकाई, वन एवं ग्राम्य विकास आयुक्त शाखा, सचिवालय शाखा, सुभाष मार्ग, देहरादून को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्या 847/2003 - 2004 दिनांक 05-12-2003 को दिनांक 04-12-2013 से पांच वर्ष की अवधि के लिये नवीकृत किया गया है।

500.00 रुपये की नवीकरण फीस सम्यक रूप से प्राप्त हो गयी है।

दिनांक 09-12-2013

सोसाइटी-रजिस्ट्रार  
उत्तराखण्ड

**उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास समिति**  
**समिति का स्मृति पत्र**

1 समिति नाम :	उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास समिति (उ० ग्रा० वि० सं०)
2 समिति का पूरा पता	परियोजना प्रबन्धन इकाई एफ०आर०डी०सी० ब्रांच, सचिवालय परिसर, सुभाष रोड, देहरादून
3 समिति का कार्यक्षेत्र	संपूर्ण उत्तराखण्ड।
4 समिति के उद्देश्य	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. समिति के कार्यक्षेत्र जो कि ग्रामीण क्षेत्र होगा, में आय वृद्धि आजीविका संसाधनों को उपलब्ध कराना।</li> <li>2. समिति के परियोजना के क्षेत्र में स्वयं सहायता समूहों का गठन करते हुए प्रोत्साहन तथा माइक्रो फाइनेन्स के माध्यम से लाभार्थियों का संश्लिष्टकरण करना।</li> <li>3. परियोजना क्षेत्र के लाभार्थियों हेतु कृषि, बागवानी, पशुपालन आदि जैसे कृषि आधारित कार्यक्रमों का आयोजन जिससे उनकी आय वृद्धि की जा सके तथा उक्त कार्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान कर लाभार्थियों की लघु इकाईयों की स्थापना करना।</li> <li>4. गैर कृषि आधारित गतिविधियों तथा सूक्ष्म एवं लघु एन्टरप्राइजेज का आयोजन लाभार्थियों हेतु करना।</li> <li>5. परियोजना की गतिविधियों, कार्यक्रमों एवं प्रशिक्षणों हेतु-प्रचार प्रसार का कर्त्व कराना। इस हेतु प्रचार-प्रसार का प्रकाशन करना।</li> <li>6. परियोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यक्रमों का मूल्यांकन एवं अनुश्रवण करना।</li> <li>7. परियोजना के अन्तर्गत संचालित की जाने वाली विभिन्न योजनाओं हेतु सरकारी विभागों एवं गैर सरकारी संस्थाओं (एन०जी०ओ०) का सहयोग लेना।</li> <li>8. समिति द्वारा आईफैंड परियोजना के अनुसार परियोजना का संचालन करने हेतु नीति निर्धारण करना, जिसमें जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई का गठन, स्टाफ की भर्ती आदि।</li> </ol>

5 प्रबन्धकारिणी समिति (संचालक मण्डल) के सदस्यों के पद, पते एवं व्यवसाय (जिनको संस्था नियमों के अनुसार कार्यभार सौंपा गया) .संचालक मण्डल (प्रबन्धकारिणी समिति) में निम्नलिखित सदस्य होंगे

संचालक मंडल (प्रबन्धकारिणी समिति) में निम्नलिखित सदस्य होंगे।

क्र० सं०	पदनाम	पता	व्यवसाय	पद
1	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास	उत्तराखण्ड शासन, सचिवालय परिसर, सुभाष रोड, देहरादून	सरकारी अधिकारी	अध्यक्ष
2	सचिव, ग्राम्य विकास	उत्तराखण्ड शासन	सरकारी अधिकारी	उपाध्यक्ष
3	प्रमुख सचिव, वित्त	उत्तराखण्ड शासन	सरकारी अधिकारी	सदस्य
4	सचिव, कृषि	उत्तराखण्ड शासन	सरकारी अधिकारी	सदस्य
5	सचिव, वन	उत्तराखण्ड शासन	सरकारी अधिकारी	सदस्य
6	सचिव, पशुपालन	उत्तराखण्ड शासन	सरकारी अधिकारी	सदस्य
7	सचिव, उद्योग	उत्तराखण्ड शासन	सरकारी अधिकारी	सदस्य
8	नाबार्ड के राज्य स्तरीय प्रतिनिधि	नाबार्ड क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून	बैंक अधिकारी	सदस्य
9	राज्य सहकारी बैंक के प्रतिनिधि	उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक, देहरादून	बैंक अधिकारी	सदस्य
10	एस०बी०सी०सी० के प्रतिनिधि	272 सी, फेस 2, बसंत विहार, देहरादून	कम्पनी में मुख्य कार्यकारी अधिकारी	सदस्य
11	प्रोजेक्ट क्षेत्र से 2 स्वैच्छिक संस्थाओं के नामित प्रतिनिधि (जो राज्य सरकार द्वारा 2 साल के लिये नामित होंगे और जिनमें कम से कम एक महिला होगी)	स्वैच्छिक संस्थाओं के नामित प्रतिनिधियों के पते	स्वैच्छिक संस्थाओं के नामित मुख्य कार्यकारी	सदस्य

**CHIEF EXECUTIVE OFFICER**  
Uttarakhand Parvatiya Aarbhavik  
Sanvardhan Company

**Vijay Kumar IFS**  
Project Director  
Uttarakhand Gramya Vikas Samiti

**Managing Director**  
Uttarakhand State Co-op. Bank Ltd.  
Haldwari

(विजय कुमार)  
सचिव  
उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास समिति

RAJ  
(टी०सी०) जलदेव  
ग्राम विकास


12	राज्य के परियोजना क्षेत्र से निर्वाचित जिला पंचायतों में से 2 अध्यक्ष (जो राज्य सरकार द्वारा 1 साल के रोटेशन पद्धति से नामित होंगे। महिला एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रतिनिधित्व पंचायती राज नियमावली के आधार पर होगा)	राज्य के परियोजना क्षेत्र से निर्वाचित जिला पंचायत में से नामित 2 अध्यक्ष	जिला पंचायत अध्यक्ष	सदस्य
13	विपणन के गैर सरकारी विशेषज्ञ (राज्य सरकार द्वारा नामित)	उत्तराखण्ड शासन	सरकारी अधिकारी	सदस्य
14	उद्यमिता विकास के गैर सरकारी विशेषज्ञ (राज्य सरकार द्वारा नामित)	उद्यमिता विकास के गैर सरकारी नामित विशेषज्ञों के पते	सरकारी अधिकारी	सदस्य
15	परियोजना निदेशक	उत्तराखण्ड हिमालयी आजीविका सुधार परियोजना, 272 सी, फेस 2, बसन्त विहार, देहरादून	सरकारी अधिकारी	सदस्य


### उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास समिति, देहरादून


उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास समिति के सामान्य निकाय (साधारण सभा) के सदस्यों की सूची

(वर्ष 2013-14)


क्रम सं०	नाम / राजकीय पद	समिति में पद
1	मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन	अध्यक्ष
2	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
3	सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
4	प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
5	सचिव, कृषि, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
6	सचिव, वन, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
7	सचिव, पशुपालन, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
8	सचिव, उद्योग, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
9	नाबार्ड के राज्य स्तरीय प्रतिनिधि	सदस्य
10	राज्य सहकारी बैंक के प्रतिनिधि	सदस्य
11	एस0वी0सी0सी0 के प्रतिनिधि	सदस्य
12	प्रोजेक्ट क्षेत्र से 2 स्वैच्छिक संस्थाओं के नामित प्रतिनिधि (जो राज्य सरकार द्वारा 2 साल के लिये नामित होंगे और जिनमें कम से कम एक महिला होगी)	सदस्य
13	राज्य के परियोजना क्षेत्र से निर्वाचित जिला पंचायतों में से 2 अध्यक्ष (जो राज्य सरकार द्वारा 1 साल के रोटेशन पद्धति से नामित होंगे। महिला एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रतिनिधित्व पंचायती राज नियमावली के आधार पर होगा)	सदस्य
14	विपणन के गैर सरकारी विशेषज्ञ (संचालक मण्डल द्वारा नामित)	सदस्य
15	उद्यमिता विकास के गैर सरकारी विशेषज्ञ (संचालक मण्डल द्वारा नामित)	सदस्य
16	कृषि विशेषज्ञ (संचालक मण्डल द्वारा नामित)	सदस्य
17	उद्यान विशेषज्ञ (संचालक मण्डल द्वारा नामित)	सदस्य
18	वानिकी विशेषज्ञ (संचालक मण्डल द्वारा नामित)	सदस्य
19	परियोजना निदेशक	सदस्य/सचिव
20	जनपदीय सघों के सभी निर्वाचित अध्यक्ष (परियोजना वर्ष 4 से सदस्य होंगे)	सदस्य

  
CHIEF EXECUTIVE OFFICER  
Uttarakhand Parvatiya Abhyasika  
Sanvardhan Company

  
Vijay Kumar IPS  
Project Director  
Uttarakhand Gramya Vikas Samiti

  
Managing Director  
Uttarakhand State Co-op. Bank Ltd.  
Haldwani

  
(विशेष जोड़िया)  
उपनिवेश  
राज्य विकास  
संचालक मण्डल शासन

  
राज्य विकास  
संचालक मण्डल शासन

**उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास समिति**  
**समिति के नियम एवं विनियम (नियमावली)**


इन नियमों के अन्तर्गत, जब तक संदर्भ अन्यथा आवश्यक हो:


- "समिति" का तात्पर्य उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास समिति से है।
- "संचालक मण्डल" का तात्पर्य उस निकाय से है, समिति के संचालक मण्डल के रूप में गठित है।
- "सामान्य निकाय" का तात्पर्य समिति के सामान्य निकाय से है।
- "परियोजना निदेशक" का तात्पर्य समिति के कार्यक्रम क्रियान्वयन हेतु नियुक्त मुख्य अधिशारी अधिकारी से है।
- "केन्द्र" का तात्पर्य केन्द्र सरकार से है।
- "राज्य" का तात्पर्य उत्तरांचल राज्य से है।
- "सदस्य" का तात्पर्य संचालक मण्डल के सदस्य से है तथा
- "वर्ष" का तात्पर्य मार्च की 31वी तिथि को समाप्त होने वाले वर्ष से है।

1 समिति नाम :	उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास समिति (उ0 ग्रा0 वि0 स0)
2 समिति का पूरा पता	परियोजना प्रबन्धन इकाई, एफ0आर0डी0सी0 ब्रांच, सचिवालय परिसर, सुभाष रोड, देहरादून
3 समिति का कार्यक्षेत्र	संपूर्ण उत्तराखण्ड।
4 समिति के उद्देश्य	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. परियोजना क्षेत्र जो कि ग्रामीण क्षेत्र होगा, में आय वृद्धि आजीविका संसाधनों को उपलब्ध कराना।</li> <li>2. परियोजना क्षेत्र में स्वयं सहायता समूहों का गठन करते हुए प्रोत्साहन तथा माइक्रो फाइनेन्स के माध्यम से लाभार्थियों का सशक्तिकरण करना।</li> <li>3. परियोजना क्षेत्र के लाभार्थियों हेतु कृषि, बागवानी, पशुपालन आदि जैसे कृषि आधारित कार्यक्रमों का आयोजन जिससे उनकी आय वृद्धि की जा सके तथा उक्त कार्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान कर लाभार्थियों की लघु इकाइयों की स्थापना करना।</li> <li>4. गैर कृषि आधारित गतिविधियों तथा सूक्ष्य एवं लघु एन्टरप्राइजेज का आयोजन लाभार्थियों हेतु करना।</li> <li>5. परियोजना की गतिविधियों, कार्यक्रमों एवं प्रशिक्षणों हेतु प्रचार प्रसार का कार्य करना। इस हेतु प्रचार-प्रसार का प्रकाशन करना।</li> <li>6. परियोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यक्रमों का मूल्यांकन एवं अनुश्रवण करना।</li> <li>7. परियोजना के अन्तर्गत संचालित की जाने वाली विभिन्न योजनाओं हेतु सरकारी विभागों एवं गैर सरकारी संस्थाओं (एन0जी0ओ0) का सहयोग लेना।</li> <li>8. समिति द्वारा आईफैंड परियोजना के अनुसार परियोजना का संचालन करने हेतु नीति निर्धारण करना, जिसमें जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई का गठन, स्टाफ की भर्ती आदि।</li> </ol>
5 समिति की सदस्यता तथा सदस्यों का वर्ग	1. सामान्य 2. विशिष्ट आदि
6 सदस्यता की समाप्ति	मृत्यु, पागलपन, दंडित होना, दिवालियापन तथा पदभार मुक्त होने पर
7 समिति के अंग	अ) समिति के सामान्य निकाय ब) संचालक मण्डल

**समिति के सामान्य निकाय (साधारण सभा)**

अ) सभी संस्थापक सदस्य तथा संचालक मण्डल के सभी सदस्य, सामान्य निकाय के सदस्य होंगे तथा ऐसे सदस्यों को सदस्यता शुल्क भुगतान की आवश्यकता नहीं होगी। समिति के कोई सदस्य पदमुक्त हो जाने पर वह समिति की सदस्यता से मुक्त हो जायेगा।

  
**CHIEF EXECUTIVE OFFICER**  
Uttarakhand Parvatiya Aajeevika  
Sanvardhan Company

  
**Vijay Kumar IFS**  
Project Director  
Uttarakhand Gramya Vikas Samiti

  
**Managing Director**  
Uttarakhand State Co-op. Bank Ltd.  
Haldwani

(विशेष फोनिका)  
सचिव  
ग्राम्य विकास  
उत्तराखण्ड सरकार

  
उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास समिति  
अध्यक्ष निकाय आइडुवस  
शासन

समिति की सामान्य निकाय के सदस्य निम्नवत होंगे

क्रम सं०	नाम / राजकीय पद	समिति में पद
1	मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन	अध्यक्ष
2	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
3	सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
4	प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
5	सचिव, कृषि, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
6	सचिव, वन, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
7	सचिव, पशुपालन, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
8	सचिव, उद्योग, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
9	नाबार्ड के राज्य स्तरीय प्रतिनिधि	सदस्य
10	राज्य सहकारी बैंक के प्रतिनिधि	सदस्य
11	एस०वी०सी०सी० के प्रतिनिधि	सदस्य
12	प्रोजेक्ट क्षेत्र से 2 स्वैच्छिक संस्थाओं के नामित प्रतिनिधि (जो राज्य सरकार द्वारा 2 साल के लिये नामित होंगे और जिन्में कम से कम एक महिला होगी)	सदस्य
13	राज्य के परियोजना क्षेत्र से निर्वाचित जिला पंचायतों में से 2 अध्यक्ष (जो राज्य सरकार द्वारा 1 साल के सेटेशन पद्धति से नामित होंगे। महिला एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रतिनिधित्व पंचायती राज नियमावली के आधार पर होगा)	सदस्य
14	विपणन के गैर सरकारी विशेषज्ञ (संचालक मण्डल द्वारा नामित)	सदस्य
15	उद्यमिता विकास के गैर सरकारी विशेषज्ञ (संचालक मण्डल द्वारा नामित)	सदस्य
16	कृषि विशेषज्ञ (संचालक मण्डल द्वारा नामित)	सदस्य
17	उद्यान विशेषज्ञ (संचालक मण्डल द्वारा नामित)	सदस्य
18	वानिकी विशेषज्ञ (संचालक मण्डल द्वारा नामित)	सदस्य
19	परियोजना निदेशक	सदस्य/सचिव
20	जनपदीय संघों के सभी निर्वाचित अध्यक्ष (परियोजना वर्ष 4 से सदस्य होंगे)	सदस्य

#### ब) बैठक

समिति की वार्षिक बैठक अध्यक्ष द्वारा निर्धारित स्थान एवं समय पर होगी। ऐसी वार्षिक बैठक के संचालक मण्डल द्वारा समिति की वार्षिक रिपोर्ट तथा वार्षिक लेखा प्रस्तुत किया जायेगा।

#### स) सूचना अवधि


बैठक आहूत करने की प्रत्येक सूचना में बैठक की तिथि, समय तथा स्थान, जहां बैठक होगी, संसूचित करते हुए बैठक की तिथि से कम से कम 15 दिन पूर्व जारी की जायेगी।

#### द) गणपूर्ति (Quorum)


समिति की किसी बैठक के लिए सदस्यों का एक तिहाई कोरम अपरिहार्य होगा। यदि बैठक में कोरम का अभाव होता है, तो बैठक स्थगित कर दी जायेगी और कुछ दिन पश्चात दोबारा पुनः होगी। पुनः आयोजित बैठक में कोरम की आवश्यकता नहीं होगी। बैठक में सभी प्रस्तावों पर निर्णय बहुमत से होगा और बराबर वोटिंग की दशा में अध्यक्ष अपने सामान्य वोट के अलावा एक अतिरिक्त वोट भी दे सकेगा।

#### र) साधारण सभा के कर्तव्य/अधिकार


समिति के समस्त कार्यकारिणी तथा समस्त कार्यों की वार्षिक समीक्षा करना, अनुश्रवण करना एवं सुझाव देना।



CHIEF EXECUTIVE OFFICER  
tarakhand Parvatiya Aajeevika  
Sanvardhan Company




Vijay Kumar IAS  
Project Director  
Uttarakhand Gramya Vikas Samiti



Managing Director,  
Uttarakhand State Co-op. Bank Ltd.  
Haldwani



Uttarakhand State Co-op. Bank Ltd.  
Haldwani



Managing Director,  
Uttarakhand State Co-op. Bank Ltd.  
Haldwani

3. विशेष/वार्षिक अधिवेशन की तिथि

समिति के संरक्षक एवं अध्यक्ष की संयुक्त राय से वार्षिक किसी दिनांक तय करना

9. संचालक मण्डल : (प्रबन्धकारिणी समिति)

अ) गठन :


समिति के संचालक मण्डल में उत्तराखण्ड शासन के प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास शाखा परियोजना वर्ष 1-6 के मध्य समिति के पदेन अध्यक्ष होंगे। समिति के नियमों के अन्तर्गत निहित अध्यक्ष के निर्वाचन प्रक्रिया के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन परियोजना वर्ष 7 में बोर्ड के अशासकीय सदस्यों में से 2 वर्ष के लिए किया जाएगा। सभी संस्थापक सदस्य तथा संचालक मण्डल के सभी सदस्य, सामान्य निकाय के सदस्य होंगे तथा ऐसे सदस्यों को सदस्यता शुल्क भुगतान की आवश्यकता नहीं होगी। संचालक मण्डल से कोई भी सदस्य के पदमुक्त होने पर वह समिति से मुक्त हो जायेगा।


उपरोक्त के अतिरिक्त संचालक मण्डल, केन्द्र अथवा राज्य सरकार के किसी निकाय, किसी सार्वजनिक अथवा निजी वित्तीय संस्थान, किसी संयुक्त स्टाक कम्पनी, किसी बैंक, किसी समिति अथवा संस्थान, जो समिति के उद्देश्यों का पालन करने के लिए इच्छुक हो तथा बोर्ड की राय में ऐसा करें, को सदस्य के रूप में प्रवेश दे सकेगा। ऐसे संस्थागत सदस्यों को एकमुश्त शुल्क रुपये 10,000 (रुपये दस हजार मात्र) भुगतान करने पर संचालक मण्डल की सदस्यता ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है।


संचालक मण्डल में निम्नलिखित सदस्य होंगे।

क्र० सं०	नाम /राजकीय पद	समिति में पद
1	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन	अध्यक्ष
2	सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
3	प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
4	सचिव, कृषि, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
5	सचिव, वन, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
6	सचिव, पशुपालन, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
7	सचिव, उद्योग, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
8	नाबार्ड के राज्य स्तरीय प्रतिनिधि	सदस्य
9	राज्य सहकारी बैंक के प्रतिनिधि	सदस्य
10	एस०वी०सी०सी० के प्रतिनिधि	सदस्य
11	प्रोजेक्ट क्षेत्र से 2 स्वैच्छिक संस्थाओं के नामित प्रतिनिधि (जो राज्य सरकार द्वारा 2 साल के लिये नामित होंगे और जिनमें कम से कम एक महिला होगी)	सदस्य
12	राज्य के परियोजना क्षेत्र से निर्वाचित जिला पंचायतों में से 2 अध्यक्ष (जो राज्य सरकार द्वारा 1 साल के रोटेशन पद्धति से नामित होंगे। महिला एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रतिनिधित्व पंचायती राज नियमावली के आधार पर होगा)	सदस्य
13	विपणन के गैर सरकारी विशेषज्ञ (संचालक मण्डल द्वारा नामित)	सदस्य
14	उद्यमिता विकास के गैर सरकारी विशेषज्ञ (संचालक मण्डल द्वारा नामित)	सदस्य
15	परियोजना निदेशक	सदस्य/सचिव


प्रतिबन्ध यह होगा कि किसी भी समय संचालक मण्डल में नामित कुल गैर सरकारी सदस्यों में से आधी महिलायें होंगी। अग्रेतर प्रतिबन्ध यह होगा कि संचालक मण्डल द्वारा निबन्धन के तृतीय वर्ष में समिति के नियम व विनियम को आईफैंड सहायतित हिमालयी आजीविका सुधार परियोजना के मध्यावधि समीक्षा के परिपेक्ष्य में समीक्षित किया जायेगा, जिससे नामित सदस्यों के स्थान पर सामुदायिक संस्थानों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन संचालक मण्डल में से हो।

  
CHIEF EXECUTIVE OFFICER  
Uttarakhand Parvatiya Aasevika  
Sanvardhan Company

  
Subject Director  
Uttarakhand Parvatiya Aasevika  
Sanvardhan Company

  
Managing Director  
Uttarakhand State Co-op. Bank Ltd.  
Haldwani

  
(निदेशक)  
सचिव  
राज्य विकास

  
5  
(निदेशक)  
सचिव  
राज्य विकास

- ii) संचालक मण्डल, प्रस्ताव द्वारा ऐसे उद्देश्यों के लिए उप समिति का गठन करेगा और उसे यथा उचित अधिकार प्रदत्त कर सकेगा एवं ऐसे सलाहकार परिषद का गठन उन व्यक्तियों को लेकर करेगा, जिन्हें समिति में सदस्य होने की आवश्यकता नहीं होगी।

समिति के कार्यकलापों के संचालन, विशेषरूप से परियोजना रणनीति के लिए बजट प्रस्तावों की स्वीकृति, व्ययों की स्वीकृति, लेखा/पुस्तिकाओं के रखरखाव, अनुबन्ध करना तथा समिति के फण्ड निवेश आदि के परिपेक्ष्य में संचालक मण्डल को उपविधियों के कार्यान्वयन को बनाने का अधिकार होगा। संचालक मण्डल समिति के रजिस्ट्रेशन के पश्चात आईफैंड सहायतित हिमालयी आजीविका सुधार परियोजना के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रशासनिक एवं वित्तीय कार्यकलापों, संचालक मण्डल के गैर सरकारी सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया तथा विस्तृत नियमादि तैयार करेगा एवं अंगीकृत करेगा।

#### ल) कार्यकाल :

संचालक मण्डल का कार्यकाल साधारण सभा द्वारा निर्धारित किया जायेगा। आवश्यकतानुसार समिति प्रस्ताव पास कर नयी संचालक मण्डल समिति गठित कर सकती है।

#### 10. संचालक मण्डल के पदाधिकारियों के कर्तव्य व अधिकार :

- संचालक मण्डल, जैसा उचित समझें, प्रस्ताव द्वारा अध्यक्ष और अथवा परियोजना निदेशक को ऐसे अधिकार एवं कार्यकलापों के सम्पादन का अधिकार प्रदत्त कर सकता है।
- परियोजना निदेशक संचालक मण्डल द्वारा नियुक्त किये जायेंगे और उनकी नियुक्ति/कार्य की शर्तें एवं अन्य सेवा शर्तों का निर्धारण संचालक मण्डल द्वारा किया जायेगा।
- परियोजना निदेशक समिति के कार्यकलापों के समुचित प्रशासन हेतु उत्तरदायी होगा। वह समिति का मुख्य अधिशासी अधिकारी होगा और कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित परियोजनाओं के कार्य को सुगठित / विनियमित ढंग से संचालित करेगा। वह संचालक मण्डल द्वारा विनिर्धारित नियमों के अन्तर्गत पी0एम0यू0 एवं डी0एम0यू0 के लिए स्टाफ की नियुक्ति करेगा।

#### 11. समिति के नियमों व विनियमों में संशोधन प्रक्रिया :

समिति की नियमावली में किसी भी समय, इस हेतु आहूत समिति की सामान्य निकाय की बैठक में उपस्थित सदस्यों से कोरम पूर्ण होने पर बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा संशोधन किया जा सकता है

#### 12. समिति के कोष (लेखा व्यवस्था):

कोष के निम्नलिखित प्राविधान होंगे


- आईफैंड या अन्य अन्तरराष्ट्रीय एजेन्सी द्वारा प्रदत्त अनुदान एवं सहायता।
- केन्द्र सरकार या अन्य एजेन्सी द्वारा प्रदत्त अनुदान या अन्य सहायता।
- निवेश द्वारा आय।
- अन्य स्रोतों द्वारा आय।


#### खाता संचालन :

समिति का खाता संचालन परियोजना निदेशक तथा समिति द्वारा नियुक्त लेखा प्रमुख के संयुक्त हस्ताक्षर से होगा।

#### 13. समिति के आय व्यय का लेखा परीक्षण (आडिट)

समिति के अनुमोदन पर नियुक्त किये गये चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा समिति के लेखा का ऑडिट (सम्प्रेक्षण) होगा। ऑडिट की प्रकृति व विस्तृत व्यवस्थापन, लेखा व उसकी देखरेख के तहत/अनुसार ही होगा।

  
CHIEF EXECUTIVE OFFICER  
Uttarakhand Parvatiya Rajeevika  
Sanvardhan Company

  
Vijay Kumar IFS  
Project Director  
Uttarakhand Gramya Vikas Samiti

  
Manager  
Uttarakhand State Co-op. Bank Ltd.  
Haldwani

(विजय कुमार)  
राजिव  
ग्राह्य विकास  
उत्तराखण्ड आरविक

  
Rajeev  
Uttarakhand Gramya Vikas Samiti  
Haldwani

